दिनांक 24.03.2017 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विडियो कांफ्रेन्स में दिये गये निदेश।

दिनांक 24.03.2017 को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विडियो कांफ्रेंस में दिये गये निदेश :–

1. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन :–

वीडियो कांफ्रेंस के दौरान बताया गया कि खगड़िया जिले में लोक शिकायत निवारण के ऐसे मामले जो 60 दिनों से ज्यादा अवधि से है, उनकी संख्या–23 है। जबकि नियमानुसार वाद की कार्रवाई 60 दिनों में समाप्त कर दी जानी चाहिए। सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर वादों का निपटारा सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन – सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी)

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न वादों में कुल 615 पारित आदेश अभी भी अनुपालन के लिए लंबित है। सभी लोक प्राधिकार को निदेश दिया जाता है कि वादों में पारित आदेश का अनुपालन ससमय करेंगे एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भी इसकी सूचना देंगे।

(अनुपालन– सभी लोक प्राधिकार)

अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक शनिवार को की जाने वाली संयुक्त बैठक नियमित रूप से की जानी है और उसकी कार्यवाही वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। सभी अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी अंचल अधिकारी, सभी थानाध्यक्ष)

2. राजस्व :–

1. जमाबन्दी का कम्प्यूटराईजेशन का कार्य अत्यन्त ही धीमी गति से चल रहा है।
2. सरजमीनी सेवाओं से संबंधित रिपोर्ट नियमित रूप से वेबसाईड पर अपलोड नहीं की जा रही है।
3. अभियान वसेरा अन्तर्गत अभी तक मात्र 35 प्रतिशत हल्का में सर्वे कार्य हो पाया है।
4. दखल देहानी की गति अत्यन्त ही धीमी है।
5. जल निकाय को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं की गयी है।
6. सिलिंग की जमीनों का भूमिहीनों के बीच में वितरण अभियान को गति दिया जाना है।

8. NPR में डाटाइन्ट्री की गति धीमी है, इसे तेज किया जाना है।
9. माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रहे सिलिंग से संबंधित वादों में प्राथमिकता के तौर पर पक्ष रखा जाना है।

अपर समाहर्त्ता, खगड़िया एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी मामलों में गति लाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया/सभी अंचल अधिकारी)

Received for ... 29/3/17

3. समाज कल्याण विभाग:–

1.लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र भेजा जाना है।

2. आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित लंवित भवनों का निर्माण तेजी से पूरा किया जाना है।

3..नियमित समीक्षा बैठक की जानी है।

4. CWC का कम्प्यूटराईजेशन के कार्य को तेज गति से पूरा किया जाना है।

जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि इन सभी मामलों में तेजी से कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया)

4. <u>ग्रामीण विकास विभाग</u>:–

1.मनरेगा में प्रगति अत्यन्त धीमी है। खास तौर पर मजदूरी का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है । सभी कार्यक्रम पदाधिकारी विशेष प्रयास कर मनरेगा में प्रगति लायेंगें तथा नियमित भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

2.जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन का प्रतिशत कम है। अतः सभी कार्यक्रम पदाधिकारी जॉब कार्ड का वेरिफिकेशन कार्य में गति प्रदान कर उसे शीघ्र सम्पन्न करायेगें।

3. सभी प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय में आधार कार्डो को बनाने के लिए सेन्टर स्थापित किया जाना है एवं स्थल की उपलब्धता का प्रतिवेदन विभाग के साथ–साथ संबंधित एजेन्सी को भी भेजा जाना है। निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया इसे सुनिश्चित करायेगे।

4..आधार सिडिंग मात्र 29 प्रतिशत है। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे अगले 15 दिनों में अभियान चलाकर इसमें तेजी लायेंगे।

(अनुपालन–सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा/निदेशक, डी0आर0डी0ए0, खगड़िया)

5. <u>पंचायत राज विभाग</u>:–

ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के भत्ता की निकासी ससमय नहीं की जा रही हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि इसकी निकासी कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

सभी योजनओं से संबंधित DC BILL एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र काफी संख्या में लंबित हैं, जिसे अतिशीघ्र निष्पादित किया जाना है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि सभी योजनाओं से संबंधित DC Bill एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया)

6. <u>योजना एवं विकास विभाग</u>:–

आर्थिक हल युवाओ को बल संबंधित निश्चय योजना में कांउसिलिंग की गति अपेक्षित नहीं है। इसमें तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाना है एवं इन योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुचाया जा सके तथा अधिक–से–अधिक संख्या में आवेदन इसमें लिया जा सके। जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया एवं प्रबन्धक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास कर प्रत्येक दशा में अगले 15 दिनों के अन्दर अपेक्षित सुधार लायेगें।

(अनुपालन– जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया/
प्रबन्धक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, खगड़िया)

7. सांख्यिकी विभागः–

जन्म एवं मृत्यु से संबंधित पंजीकरण की गति काफी धीमी हैं और यह मात्र 37 प्रतिशत ही है। इसमें विशेष प्रयास कर सभी जन्म मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। जिला सांख्यकी पदाधिकारी, खगड़िया एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे पंचायत सचिवों के माध्यम से एवं अन्य पंजीकृत प्राधिकार के माध्यम से इसमें प्रगति लाये और सभी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करायें। इसके अतिरिक्त इसमें ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा दी गयी है। उसका भी उपयोग सुनिश्चित करायें।

(अनुपालन–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

8. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :–

सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति भी अत्यन्त धीमी है। जिला योजना पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग, खगड़िया विशेष प्रयास कर इसमें तेजी लायें एवं योजनओं को ससमय सम्पन्न करायें।

(अनुपालन– जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया/
कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया)

9. सामान्य प्रशासन विभागः–

स्वतंत्रता सेनानियों का वेरिफिकेशन किया जाना है, स्वतंत्रता सेनानियों के दो पीढ़ी तक के आश्रितों को पहचान पत्र देना है तथा निर्धारित संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों को पटना जाने की व्यवस्था की जानी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी कार्यो में प्रगति लायें तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पटना जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, खगड़िया)

ह0/-
जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 734 /गो0, दिनांक 28-03-17

प्रतिलिपि : सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया 28/3/17